20.9.17 29.12.17	आदेश अभिलेख के साथ संलग्न है [signature] 29/12/17	

अनुसूची १४ - फारम संख्या ५६२ ।

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20.09.20 7 29.12.2017	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा ।** **Confiscation Case No. 02/2009-10** **सरकार बनाम मो0 लियाकत अली** **आदेश** प्रस्तुत वाद प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-338/जि0आ0, दिनांक-08.10.2009 द्वारा प्रतिवेदित जिसमें मो0 लियाकत अली जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या-46/91, ग्राम+पो0-टेसजोरिया, थाना-नाला के दुकान से जप्त खादान्न गेहूँ 05 पैकेट (लगभग ढाई क्विंटल), चावल 30 पैकेट (लगभग पन्द्रह क्विंटल) एवं एक पैकेट धान (लगभग 50 किलो) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-6A के तहत् राजसत्त करने के संबंध में है। इस कांड में नाला थाना कांड संख्या-108/09 दर्ज है। अधोहस्ताक्षरी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा दूरभाष पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला को बताया गया कि नाला प्रखण्ड के टेसजोरिया ग्राम के आदिवासी टोला में स्थानीय लोगों द्वारा एक ट्रक 407, BR-12-6998 को BPL अनाज के साथ दिनांक-11.09.09 को रात्री 7:30 बजे पकड़ा गया। उपरोक्त पदाधिकारियों के निदेश के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला द्वारा तत्काल स्थल जाँच कर ट्रक में 5 बोरा गेहूँ (लगभग ढाई क्विंटल), 30 बोरा चावल (लगभग 15 क्विंटल) एवं एक पैकेट धान (लगभग 50 किलो) पाया गया। गाड़ी के ड्राइवर एवं स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त खादान्न जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मो0 लियाकत अली के दुकान से लाया जा रहा था। उक्त खादान्न BPL के लाभुकों के बीच वितरण हेतु उठाव की गई थी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला द्वारा रात्री 2:30 बजे मौके पर जाकर दुकान को सील कर दिया गया एवं ट्रक सहित खादान्न को थाना पर जप्त कर रखा गया। पुनः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला द्वारा जाकर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नाला को डीलर के भंडार जाँच एवं थाने में जमा चावल, खादान्न का सत्यापन कर संबंधित के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज करने का निदेश दिया गया। इस कांड में नाला थाना कांड संख्या-108/09 दर्ज है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जप्त किये	

गये उपरोक्त खादान्न जन वितरण प्रणाली से संबंधित नहीं है। उनका कहना है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नाला द्वारा दिनांक–12.09.2009 को किए गए जाँच एवं जप्ती गैर कानूनी थी, क्योंकि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को जन वितरण प्रणाली से संबंधित वस्तुओं के काला बाजारी की जाँच एवं जप्ती संबंधी आदेश की अधिसूचना दिनांक–18.09.2009 को जारी हुई थी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, नाला के पत्र पत्रांक–597, दिनांक–12.09.09 में उल्लेख है कि वर्णित खादान्न/ अनाज उपायुक्त, जामताड़ा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा दूरभाष से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला को प्राप्त निदेश के आलोक में जाँच के पश्चात् जप्त कर नाला थाना में जमा कर दिया गया एवं जन वितरण प्रणाली के दुकान को सील कर दिया गया एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को डीलर के स्टॉक की जाँच एवं थाने पर जमा चावल को सत्यापन कर संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश भी इस पत्र में उल्लेख है।

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची W.P(Cr.)256 of 2010 में क्रमांक 10 दिनांक 06.12.2013 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु विज्ञ सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य का माँग किया गया। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा मंतव्य में कहा गया है की माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा वाद W.P(Cr.)256 of 2010 में आवेदक द्वारा Nala P.S.Case no.108 of 2009 में किये गये F.I.R. को Quash करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया था एवं वस्तुओं के Confiscation या वाद के Cencelaton हेतु नहीं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य सहित अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

तदनुसार, इस वाद में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला द्वारा जप्त 5 बोरा गेहूँ (लगभग ढाई क्विंटल) एवं 30 बोरा चावल (लगभग पंद्रह क्विंटल) को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के धारा 6A के तहत् राजसत्त (Confiscate) किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित करें।

उपायुक्त,
जामताड़ा।